# वेतन नियतिकरण

( Fixation of Pay )

(भारतीय रेल स्थापना संहिता–II के नियिम 1301 से 1330)

वेतन : वेतन से आशय सरकारी कर्मचारी द्वारा मासिक रूप से आहरित राशि से है, जैसेः– (नियम–1303)

i. विशेष वेतन से भिन्न वेतन, अथवा उसकी व्यक्तिगत योग्यता के सन्दर्भ में स्वीकृत वेतन जिसे उसके द्वारा मूल रूप से धारित पद के लिए स्वीकृत किया गया हो, अथवा किसी स्थानापन्न पद के लिए अथवा उस पद के लिए उसका उस संवर्ग में वह किसी कारण से हकदार है, और

ii. समुन्द्रपार वेतन (Overseas Pay) विशेष वेतनऔर वैयक्तिक वेतन, और

iii. अन्य कोई परिलाभ जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा वेतन के रूप में वगीकृत कर विनिर्दिष्ट किया है।

मूल वेतन : मूल वेतन से आशय उस वेतन से हैं जो विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन अथवा नियम 1303 (ii) के अधीन वेतन के रूप में वर्गीकृत परिलाभों से भिन्न वह वेतन अभिप्रेत हैं जिसके लिए रेल कर्मचारी मूल रूप से उस पद के लेखे पर नियुक्त होकर पाने का हकदार हैं अथवा संवर्ग में उसकी मूल स्थिति के कारण मिलने वाला वेतन। (नियम 1309)

नोट : राज्य सरकार के अधीन नियुक्त किसी ऐसे कर्मचारी जिसका स्थायी पद पर धारणाधिकार है, के मामलें में मूल वेतन से आशय सम्बन्धित राज्य सरकार के सम्बन्धित नियमों में वर्णित ''मूल वेतन'' से है।

कालिक वेतनमान (Time Scale Pay) : कालिक वेतनमान उस वेतन से आशय है जिसमें (नियम 1310)

(क) इन नियमों में निर्धारित शर्तों के अधीन आवधिक वेतन वृद्धि द्वारा न्यूनतम से अधिकतम तक बढ़ता है इसमें वेतन की वे श्रेणी भी शामिल है, जो पूर्व में प्रोग्रेसिव (उन्नति) के रूप में जानी जाती थी।

(ख) कालिक वेतनमान को समान (एकरूप) माना जायेगा यदि न्यूनतम, अधिकतम वेतन वृद्धि की अवधि तथा कालिक वेतनमान में वेतन वृद्धि की दर समान हो।

(ग) किसी पद को दूसरे पद के साथ समान कालिक वेतनमान वाला तभी माना जायेगा यदि दो कालिक वेतनमान समान हो तथा पद किसी एक संवर्ग के अन्तर्गत आते हो अथवा संवर्ग की एक श्रेणी के अन्तर्गत आते हो। ऐसे संवर्ग या श्रेणी के पदों को इस क्रम में सृजित किया गया हो कि किसी एक सेवा, संस्थान या संस्थान समूह में समान जिम्मेदारी से जुड़े सभी पदों पर भर्ती समान कार्य करने वाले उम्मीदवारों को हो। ताकि किसी पद विशेष के लिए उसके धारक के वेतनमान का निर्धारण संवर्ग या श्रेणी में उसकी स्थिति के अनुसार निर्धारित किया जा सके, उसके द्वारा धारित पद के तथ्यों के आधार पर नहीं।

प्रथम नियुक्ति के समय वेतन नियतिकरण : (पैरा 601 IREM-I)

कोई रेल कर्मचारी जो कालिक वेतनमान के किसी पद पर नियुक्त हुआ है, उसके प्रारम्भिक वेतनमान का निर्धारण निम्नानुसार अधिशासित होगाः–

रेलवे के किसी पद पर नये भर्ती व्यक्ति का वेतन उस पद के लिये जिस पर वह भर्ती हुआ है, के वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर निर्धारित किया जायेगा। यह सक्षम प्राधिकारी का विवेकाधिकार होगा कि वह विशेष मामलों में पद के कालिक वेतनमान के उच्च स्तर पर उसके वेतन नियतम हेतु स्थायी पद का सृजन करें। इस प्रकार का वेतन नियतम रेल प्रशासन के सम्बन्धित वित्तीय सलाहकार की सलाह पर किया जा सकेगा।

रेल कर्मचारी का पदोन्नति पर प्रारम्भिक वेतन निर्धारण : (नियम 1313 IRCE-II)

(1) जब कोई रेल कर्मचारी किसी अन्य ऐसे पद पर मूल /अस्थायी /स्थानापन्न रूप से, जैसा भी मामला हो, पदोन्नत या नियुक्त होता है जिसकी ड्यूटी की जिम्मेदारियाँ ज्यादा महत्वपूर्ण हो तो उच्च /अन्य पद के कालिक वेतनमान में उसका प्रारम्भिक वेतन उसके द्वारा नियमित रूप से धारित पद के वेतनमान में एक वेतन वृद्धि देकर (या 100 रूपये, जो भी अधिक हो, 01.01.96 से 31.12.05 तक) आये उस कल्पित वेतन से एक स्तर ऊपर पर निर्धारित किया जायेगा।

केवल ऐसे नियुक्ति मामलों को छोड़कर जहाँ नियुक्ति बाह्य पद या किसी पद (Deputation to an Ex-cadre Post) पर तदर्थ आधार पर हुई हो, ऐसे में रेल कर्मचारी के पास विकल्प होगा, जिसे वह पदोन्नति /नियुक्ति के एक माह के भीतर लिखकर देगा कि या तो वह इस पदोन्नति /नियुक्ति की तिथि से इन नियमों के अन्तर्गत निर्धारित वेतनमान में वेतन नियतीकरण कराये या निम्न वेतनमान में पड़ने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि लेकर वेतन निर्धारण करवायें। ऐसी स्थिति में उसके निम्न पद /वेतनमान में वृद्धि की तिथि से इन नियमों के अनुसार पुनः वेतन नियत किया जायेगा। ऐसे मामले में जहाँ तदर्थ पदोन्नति पश्चात बिना व्यवधान पदोन्नति दी गई हो, तब ऐसा विकल्प प्रारम्भिक नियुक्ति /पदोन्नति की तिथि में ही देय होगा तथा यह नियमित पदोन्नति से 01 माह के भीतर देना होगा।

जब रेल सेवक नियमित आधार पर उच्च पद पर नियुक्ति /पदोन्नति से तुरन्त पहले निचले पद के वेतनमान में अधिकतम वेतन आहरित कर रहा हो तो उच्च पद के वेतनमान में उसका आरम्भिक वेतन नियमित आधार पर

उसके द्वारा धारित निम्न पद के वेतन को कल्पिद वेतन, जो निचले पद के वेतनमान में अन्तिम वेतन वृद्धि के बराबर राशि के आधार पर देय होगा।

(2) जब नए पद पर नियुक्ति होने पर ड्यूटी /जिम्मेदारी अधिक नहीं है तो नए पद पर कर्मचारी वही आरम्भिक वेतन आहरित करेगा जो नियमित आधार पर उसके द्वारा धारित पुराने पद की वेतन श्रृंखला में प्राप्त कर रहा था। लेकिन यदि वहाँ ऐसी कोई श्रृंखला (Stage) नहीं हो तो उसके द्वारा नियमित आधार पर धारित पुराने पद की श्रृंखला से अगली श्रृंखला (Next Stage) के समान होगी।

ऐसे मामले में जब नये पद के वेतनमान का न्यूनतम वेतन उसके द्वारा नियमित आधार पर धारित पद के वेतन से अधिक हो, वह नये पद के वेतनमान का प्रारम्भिक वेतन आहरित करेगा।

आगे, जब वेतन समान श्रृंखला में ही नियत किया गया हो, तो उसकी वेतन वृद्धि की तिथि वही रहेगी जो पूर्व वेतनमान में थी। लेकिन नये पद पर उसका वेतन अगली वेतन श्रृंखला (Next Stage) पर निर्धारित हुआ है तो उसे अगली वेतन वृद्धि इस श्रृंखला में निर्धारित अवधि (वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु) पूर्ण करने के पश्चात ही देय होगी। इस प्रकार नये पद पर नियमित आधार पर (प्रतिनियुक्ति पर बाह्य संवर्ग के पद को छोड़कर) नियुक्ति होने पर रेल सेवक के पास विकल्प होगा कि वह इस प्रकार की नियुक्ति की तिथि से एक माह के भीतर विकल्प देगा कि नये पद पर उसका वेतन नियतिकरण नये पद पर उसकी नियुक्ति की तिथि से या पुराने पद पर उसकी वेतन वृद्धि की तिथि से किया जाये।

(3) जब नये पद पर उसकी नियुक्ति स्वयं के अनुरोध पर की गई हो तथा नये पद के वेतनमान का अधिकतम वेतन उसके द्वारा नियमित आधार पर धारित पुराने पद के वेतन से कम है, तो वह नये वेतनमान का अधिकतम आहरित करेगा।

संवर्ग पद से बाह्य संवर्ग पद पर तैनातीः(Posting from Cadre Post of Ex-Cadre Post) (RBE-110/94)

(i) जब मूल संवर्ग के पद का वेतनमान और बाह्य संवर्ग पद का वेतनमान समान सारणी श्रृंखला (Same Index Level) के है तथा उसका महंगाई भत्ता भी समान है तो वेतन सामान्य आधार मूलभूत नियमों (Normal Fundamental Rules) के आधार पर नियत किया जायेगा।

(ii) यदि नियुक्ति ऐसे पद पर की गई है, जिसका वेतन ढांचा तथा महंगाई भत्ता अलग–अलग है तो वेतन नियतन कर्मचारी के नियमित मूल पद में एक वेतन वृद्धि जोड़ते हुये किया जायेगा तथा यदि वह वेतनमान का अधिकतम वेतन आहरण कर रहा है तो अन्तिम वेतनवृद्धि के बराबर जोड़ते हुये किया जायेगा। वेतन +मंहगाई भत्ता +अतिरिक्त महंगाई भत्ता, अंतरिम राहत इत्यादि, यदि कोई हो, के परिलाभ सहित, जो धारक संगठन में देय हो के अनुरूप वेतन का नियतिकरण बाह्य संवर्ग पद में देय वेतनमान की श्रृंखला पर किया जायेगा। यदि वहाँ ऐसी कोई श्रृंखला नहीं है तो वेतनमान अगले उच्चत्तर श्रृंखला (Next Stage) पर निर्धारित किया जायेगा।

नोट : उपर्युक्त (i) और (ii) के अधीन नियत वेतन बाह्य संवर्ग पदो के वेतनमान के न्यूनतम से कम तथा इस वेतनमान के अधिकतम से अधिक नहीं होगा।

एक बाह्य संवर्ग पद से दूसरे बाह्य संवर्ग पद पर तैनाती (Posting from one Ex-Cadre to another Ex-Cadre Post) ) (RBE-110/94)

एक बाह्य संवर्ग पद से दूसरे बाह्य संवर्ग पद पर में नियुक्ति के मामले में जहाँ कर्मचारी ने बाह्य संवर्ग पद के वेतनमान के आहरण का विकल्प दिया है, वहाँ दूसरे और आगे के बाह्य संवर्ग पद पर वेतन सामान्य नियमों के अधीन संवर्ग पद के अनुसार ही निर्धारित किया जायेगा। सवंर्ग पद तथा बाह्य संवर्ग पद का वेतनमान समान होने के मामले में एफ.आर.–22 की शर्त–(iii) के अनुरूप लाभ देय होगा।

बाह्य संवर्ग पद से उच्च बाह्य संवर्ग पद पर तैनातीः (Posting from Ex-Cadre to Higher Ex-Cadre Post) (RBE-110/94)

पूर्व बाह्य संवर्ग पद से दूसरे या अगले उच्च वेतनमान के बाह्य संवर्ग पद पर नियुक्ति के मामले में वेतन संवर्ग पद में आहरित वेतन के सन्दर्भ में ही निर्धारित किया जायेगा। यदि इस प्रकार निर्धारित वेतन पूर्व बाह्य संवर्ग पद में आहरित वेतन से कम रहता है तो इस अंतर को भविष्य में वेतन में बढ़ोतरी तक वैयक्तिक वेतन के रूप में समायोजित किया जायेगा। यह इस शर्त के अधीन होगा कि कर्मचारी दोनों अवसरों पर बाह्य संवर्ग पदों से संलग्न वेतनमान का विकल्प चुने।

नोट :

(i) मूल पद वेतन की अवधारण का आशय मूल संगठन (Parent Organization) में नियमित आधार पर कार्यरत पद तथा इस प्रकार के पदों का आहरित वेतन से है।

(ii) कोई अधिकारी प्रतिनियुक्ति /विदेश सेवा पर जाते समय संवर्ग में तदर्थ आधार पर उच्च पद का धारक हो सकता है। प्रतिनियुक्ति /विदेश सेवा में जाते समय उसके द्वारा धारित तदर्थ पद को छोड़ते हुये नियमित पद से प्रतिनियुक्ति पर जाना समझा जायेगा। प्रतिनियुक्ति /विदेश सेवा के दौरान व अपने नियमित पद पर

कल्पित वेतन वृद्धि (Notional Increment) अर्जित करेगा। उसके प्रत्यावर्तन के समय यदि वह नियमित अथवा तदर्थ आधार पर उच्च पद पर पुनः नियुक्त होता है तो उसका वेतन नियतिकरण उसके नियमित /मूल वेतन के सन्दर्भ में देय वेतन के आधार पर किया जायेगा।

ऐसे मामलों में यदि उसका वेतन नियतन एक ऐसी श्रृंखला (Stage) पर निर्धारित हो गया हो जो उसके कनिष्ठ से (जो संवर्ग में नियमित रूप से सेवा दे रहा है) कम हो तो केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू नियमों के अनुसार उसको वृद्धि (Stepping Up) देय नहीं होगी। किन्तु यदि इस प्रकार नियत वेतन पूर्व में तदर्थ आधार पर उसके द्वारा धारित पद के समय आहरित वेतन से कम हो जाता है तो इसे पूर्व में आहरित वेतन के समान रखा जायेगा।

बाह्य संवर्ग पद से संवर्ग पद में वापस तैनाती : (Posting back from Ex-Cadre Post to Cadre Post)
(नियम 1313 (3) (iv) IREC-ii)

जब कोई रेल सेवक किसी बाह्य संवर्ग पद से अपने संवर्ग में नियमित रूप से पदोन्नत /नियुक्त होता है तो संवर्ग पद पर सका वेतन केवल संवर्ग पद, जिस पर वह आसीन है, के प्रकल्पित वेतन (Presumptive Pay) के सन्दर्भ में ही निर्धारित किया जायेगा।

बाह्य संवर्ग पद से संवर्ग पद में वापसी पर कर्मचारी को बाह्य संवर्ग पद पर तदर्थ पदोन्नति के वेतन को Protect करने को लाभ देय नहीं होगा। (RBE 49/14)

पुनर्नियुक्ति पर वेतन नियतिकरण : (Fixation of pay on Re-appointment) (नियम 1314)

किसी रेल कर्मचारी का प्रारम्भिक मूल वेतन, जो कालिक वेतनमान के किसी पद पर मूल रूप से नियुक्त किया जाता है (जिसे ड्यूटी /पद में संलग्न जिम्मेदारियों में कमी के कारण के अलावा अन्य कारण से कम नहीं कर दिया गया हो) का प्रारम्भिक मूल वेतन इस प्रकार अधिशासित किया जायेगा कि वह इस प्रकार के अंतिम अवसर पर नियम 1313 (FR22) के अधीन आहरित वेतन से उसका प्रारम्भिक वेतन कम नहीं हो।

त्रुटि मूलक पदोन्नति पर वेतन नियतिकरण : (Fixation of pay on erroneous promotion) (पैरा 228 IREM-I)

कभी कभी प्रशासनिक त्रुटि के कारण कर्मचारी की पदोन्नति की अनदेखी हो जाती है। यह प्रशासनिक त्रुटि दो प्रकार की हो सकती हैः–

(i) जहाँ प्रशासनिक त्रुटि के कारण कर्मचारी को पदोन्नति हुई ही ना हो, और

(ii) जहाँ कर्मचारी को पदोन्नति तो दी गई है किन्तु प्रशासनिक त्रुटि के कारण उस तिथि से नहीं जिस तिथि से दी जाती थी। ऐसे कर्मचारी जिन्हें प्रशासनिक त्रुटि के कारण पदोन्नति नहीं दी गई हो, उन्हें पदोन्नति की तिथि को ध्यान में रखे बिना पूर्व में पदोन्नत उसके कनिष्ठ कर्मचारी की तुलना में सही वरिष्ठा के साथ पदोन्नत किया जायेगा। पदोन्नत होने पर उच्च ग्रेड में कर्मचारी का वेतन प्रोफार्मा आधार पर निर्धारित किया जायेगा। बढ़ा हुआ वेतन उसकी वास्तविक पदोन्नति की तिथि से देय होगा तथा इस लेखे कोई एरियर भुगतान देय नहीं होगा क्योंकि कर्मचारी ने वास्तव में उच्च पद की ड्यूटी की जिम्मेदारियों का वहन नहीं किया है।

किसी अन्य सेवा /संवर्ग में प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त तथाउसी सेवा /संवर्ग में स्थाई हो जाने पर रेल सेवक के वेतन को निम्नलिखित अनुसार अधिशासित किया जायेगाः (नियम 1315)

(1) (क) प्रशिक्षु अवधि के दौरान वह वेतनमान का न्यूनतम वेतन आहरित करेगा अथवा प्रशिक्षु स्तर अथवा सेवा या पद, जैसा भी मामला हो, के वेतनमान का वेतन आहरित करेगाः–

परन्तु, आवधिक पद को छोड़कर, यदि स्थायी पद का कल्पित वेतन (Prusumption Pay) अधिक है जिस पर उसका धारणाधिकार है तथा उसका यह धारणाधिकार निलम्बित नहीं किया गया है तो वह कर्मचारी स्थायी पद का प्रकल्पित वेतन प्राप्त करेगा।

(ख) सेवा या पद पर स्थायीकरण होने पर (प्रशिक्षु अवधि पूर्ण होने के बाद) रेल सेवक का वेतनमान सेवा अथवा पद के वेतनमान के अनुसार नियम 1313 या 1316, जैसा भी मामला हो, के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

(2) कोई रेल सेवक अन्य सेवा /संवर्ग में प्रशिक्षु के रूप में तैनात होने पर आहरित करेगाः–

(क) प्रशिक्षुता की अवधि के दौरान इस अवधि के लिये निर्धारित वृत्तिका /वेतन प्राप्त करेगा परन्तु आवधिक पद को छोड़कर, यदि स्थायी पद का कल्पित वेतन (Prusumption Pay) अधिक हैं जिस पर उसका धारणाधिकार है तथा उसका यह धारणाधिकार निलम्बित नहीं किया गया हैं तो वह कर्मचारी स्थायी पद का प्रकल्पित वेतन प्राप्त करेगा।

(ख) प्रशिक्षुता के संतोषप्रद पूर्ण होने पर तथा सेवा या संवर्ग के किसी पद पर नियमित नियुक्ति होने पर उसका वेतन सेवा या पद के वेतनमान में नियम 1313 के अधीन निर्धारित किया जायेगा।

कालिक वेतनमान में वेतन वृद्धि : (Increment in Time Scale) (नियम 1318)दक्षतारोधी से ऊपर की वेतन वृद्धि को छोड़कर अन्य वेतनवृद्धि सामान्यतः स्वभाविक क्रम में आहरित की जाती है जब तक की इसकों रोका नहीं गया हो। किसी रेल कर्मचारी की वेतनवृद्धि सक्षम प्राधिकारी द्वारा रोकी जा सकती है यदि उसका आचरण

अच्छा नहीं है या उसका कार्य सन्तोषप्रद नहीं हो। किसी वेतनवृद्धि को रोकने के क्रम में सम्बन्धित प्राधिकारी वेतनवृद्धि रोकने की अवधि बतायेगा तथा यह भी अंकित करेगा कि क्या यह भविष्य की वेतनवृद्धि को भी प्रभावित करेगी या अन्यथा।

जब शास्ती के रूप में किसी विशेष समयावधि के लिये वेतनवृद्धि रोकी जाती है तो कर्मचारी को वेतनवृद्धि उस तिथि से दी जायेगी जिस तिथि को उस पर लागू शास्ती समाप्त हो जायें। आगे की वेतनवृद्धि समान्य नियमों के अनुसार जिस माह में देय हो उस माह की पहली तारीख से देय होगी। सेवा में व्यवधान आदि गैर कार्य दिवसों की अवधि को उसी प्रकार माना जायेगा जैसाकि बिना वेतन छुट्टि अवधि को माना जाता है। (दिनांक 01.01.06 पश्चात with holding of increments /reduction to lower stage सम्बन्धी शास्ती की समाप्ति पर वेतन वृद्धि तिथि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण RBE 09/14 के अन्तर्गत जारी किया गया है।)

वेतनवृद्धि के लिये सेवा की गणना : (Reckoning of service for increments) (नियम 1320)

किसी वेतनमान में वेतनवृद्धि के लिये सेवा की गणना हेतु प्रावधान निम्नलिखित हैः–

क. कालिक वेतनमान के किसी पद पर की गई सभी प्रकार की ड्यूटी को उस वेतनमान में वेतनवृद्धि के लिये गणना में लिया जायेगा।

किन्तु वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि की तिथि के उद्देश्य हेतु वे सभी अवधियों जो वेतनमान में वेतन वृद्धि के लिये गणना नहीं की गई थी, वे वेतनवृद्धि की सामान्य तिथि में जोड़ दी जायेगी। अर्थात् वेतनवृद्धि तिथि आगे बढ़ा दी जायेगी।

ख. i. किसी अन्य पद पर में की गई सेवा (कम वेतन वाले पद को छोड़कर) चाहे मूल या स्थानापन्न क्षमता में भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर सेवा तथा असाधारण छुट्टियाँ, जो चिकित्सा प्रमाण–पत्र के अलावा ली गई हो को छोड़कर, ली जाने वाली छुट्टियों को रेल कर्मचारी को वेतनमान में देय वेतनवृद्धि के लिए गिना जायेगा। किन्तु किसी बाह्य संवर्ग (Ex-cadre) में दी गई सेवा को दूसरे बाह्य संवर्ग पद पर वेतन नियतिकरण के लिये नहीं गिना जायेगा। तथा आगामी /दूसरे बाह्य संवर्ग (Another Ex-cadre) पद पर वेतन निर्धारण संवर्ग पद के सन्दर्भ में सामान्य नियमों के अनुसार किया जायेगा।

ii. मेडिकल प्रमाण–पत्र के अलावा ली गई असाधारण छुट्टियों को छोड़कर सभी छुट्टियों को तथा भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति की अवधि को उस वेतनमान व पद पर वेतन वृद्धि के लिए गिना जायेगा जिस पर रेल कर्मचारी छुट्टी पर जाने के समय अथवा भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले कार्यरत्त था अथवा नियमित रूप से स्थानापन्न कर रहा था।

किन्तु सक्षम प्राधिकारी किसी मामले में संतुष्ट होने पर ली गई असाधारण छुट्टियाँ जो कि रेल कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर थी अथवा वैज्ञानिक व तकनीकी अध्ययन के लिये ली गई थी, उस असाधारण छुट्टी को उपरोक्त नियम ( i) अथवा ( ii) के अधीन वेतनवृद्धि के लिये गणना के निर्देश दे सकता है।

ग. i. रेल कर्मचारी द्वारा उच्च /अस्थायी पद पर की गई सेवा /स्थापन्न अवधि को निम्न पद पर उसकी पुनर्नियुक्ति के मामले में वेतनवृद्धि के लिये गणनामें लिया जायेगा।

ii. यदि किसी रेल कर्मचारी को बाह्य संवर्ग पद से संवर्ग पद पर प्रत्यावर्तित कर उस बाह्य संवर्ग वेतनमान से नीचे के किसी ऐसे वेतनमान में नियुक्त किया जाता है जो उसके बाह्य संवर्ग में स्थानान्तरण के समय धारित पद के वेतनमान से समान नहीं है, तो बाह्य संवर्ग के उच्च पद पर की गई उसकी सेवाओं को संवर्ग पद पर लागू वेतनमानों में वेतनवृद्धि के लिये उसी प्रकार गिना जायेगा जैसा कि एफ.आर.–22 के नियम 1313 के नियम–1 ( iii) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में गिना जाता है।

घ. वेतनमान में वेतनवृद्धि के लिये विदेश सेवा को गणना में लिया जायेगा।

ड़. कार्यारम्भ काल (Joining Time) को वेतनवृद्धि के लिये गणना में लिया जायेगा।

च. प्रशिक्षुओं को देय वेतनवृद्धिः

बाहर माह से अधिक अवधि का प्रशिक्षुकाल खत्म होने पर यदि कोई प्रशिक्षु स्थायी हो जाता है तो वह प्रशिक्षु अवधि की गणना सहित भूतलक्षी वेतनवृद्धि का दावा करने का हकदार होगा।

समय पूर्व वेतनवृद्धि : (Premature Increment) (नियम–1321)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से जारी किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों की शर्तों के अधीन कोई प्राधिकारी किसी रेल सेवक को वेतनमान में समय पूर्व वेतनवृद्धि स्वीकृत कर सकता है, यदि उसको उसी वेतनमान व उसी संवर्ग में किसी पद का सृजन करने की शक्तियाँ प्रदत्त है।

निचले पद पर पदावनति पर वेतनमान : (Pay on reduction to lower post) (नियम–1322) शास्ती के रूप में किसी रेल सेवक को उच्च पद से निचले पद या वेतनमान में पदावनत करने के आदेश जारी करने वाला

प्राधिकारी जितना उचित समझे उतना वेतन आहरित करने की अनुमति दे सकता है जो निचले वेतनमान के अधिकतम से अधिक नहीं हो।

किन्तु रेल सेवक को इन नियमों द्वारा आहरित करने वाला वेतन उस वेतन से अधिक नहीं होगा जो नियम–1313 की प्रक्रिया द्वारा आहरित किया जाये।

शास्ती के रूप में निचले वेतन /ग्रेड पर पदावन करने पर वेतन : (Pay on reduction to lower post or grade as a measure of penalty) (नियम–1323)

i. यदि किसी रेल सेवक को उसके वेतनमान में शास्ति के रूप में निचली स्टेज पर पदावनत किया गया हो तो इस प्रकार की पदावनति करने वाली प्राधिकारी को वह अवधि बतानी होगी जिसमें यह पदावनति आदेश लागू रहेगा एवं पुनः चालू होगा तथा साथ ही यह भी अंकित करना होगा कि पदावनति की अवधि भविष्य की वेतनवृद्धियों को प्रभावित करेगी या नहीं और अगर प्रभावित करेगी तो किस सीमा तक।
ii. यदि किसी रेल सेवक को शास्ती के परिणाम स्वरूप निचली सेवा, पद या वेतनमान में पदावनत किया जाता है तो सम्बन्धित प्राधिकारी ऐसी पदावनती की अवधि को अंकित कर भी सकता है और नहीं भी। अगर पदावनती की अवधि अंकित की जाती है तो उसमें यह भी अंकित किया जायेगा कि क्या यह भविष्य की वेतनवृद्धियों को प्रभावित करेगी या अन्यथा और अगर प्रभावित करेगी तो किस सीमा तक।

शास्ति के आदेशों को अपास्त या संशोधित करने पर वेतन : (Pay when order of penalty is set aside or modified) (नियम–1324)

जब शास्ति आदेशों द्वारा रेल कर्मचारी की रोकी गई वेतनवृद्धि अथवा निचली सेवा, ग्रेड या पद पर पदावनति की शास्ती को अपील या पुनर्विचार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपास्त या संशोधित किया जाता है, तो रेल कर्मचारी का वेतन निम्नानुसार अधिशासित होगाः–

क. यदि उपर्युक्त आदेश अपास्त किये जाते हैं तो उसे उस अवधि के लिये जिसमें ये आदेश प्रभावी है, वह वेतन जिसका वह हकदार होता यदि उपर्युक्त आदेश नहीं हुये होते तथा उसके द्वारा वास्तविक आहरित वेतन का अन्तर दिया जायेगा।
ख. यदि उपर्युक्त आदेश में संशोधन किया गया है तो वेतन भी इसी प्रकार अधिशासित किया जायेगा यदि इस प्रकार के संशोधित आदेश पहली बाहर जारी किये गये हों।

स्पष्टीकरणः–

यदि रेल कर्मचारी द्वारा, इस नियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित आदेश जारी करने से पूर्व वेतन आहरित किया गया है तो उस अवधि के दौरान उसको देय छुट्टी वेतन और भत्ते (यात्रा भत्ता को छोड़कर) भी संशोधित वेतन के अनुसार संशोधित होगें।

इन नियमों में दी गई व्यवस्था के अलावा किसी रेल कर्मचारी का जो किसी पद पर पदोन्नति /नियुक्ति पर हो तथा जिसका वेतन त्रुटिपूर्ण हो, तो उसका वेतन इस आशय में सक्षम प्राधिकारी के सामान्य व विशेष आदेशों के अनुसार अधिशासित होगा। (नियम–1327)

चिकित्सा विकोटिकृत कर्मचारियों का वैकल्पिक समायोजन पर वेतन नियतिकरण (पैरा–1313)
(Fixation of pay of Medially decategorised staff absorbed in alternative post)

अशक्त /चिकित्सीय रूप से विकोटिकृत रेल कर्मचारियों का वैकल्पिक पद पर समायोजन होने पर उनका वेतन अशक्त /चिकित्सीय रूप से विकोटिकृत होने से पूर्व उनके द्वारा धारित पद के अनुरूप पूर्व में आहरित वेतन की समान श्रृंखला पर (Corresponding Stage) ही निर्धारित किया जायेगा। रनिंग कर्मचारियों के लिये वेतन नियतिकरण उनके मूल वेतन+मूल वेतन का प्रतिशत (रनिंग भत्ते का वेतन तत्व) के आधार पर किया जायेगा।

यदि इस प्रकार निर्धारित मूलवेतन समायोजित ग्रेड की किसी भी श्रृंखला (Stage) में नहीं आता है तो उसका वेतन निचली श्रृंखला पर नियत किया जायेगा तथा व्यक्तिगत वेतन (PP) के रूप में देय अंतर को भविष्य में वेतनवृद्धि में समाहित कर लिया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित हुआ वेतन यदि समायोजित ग्रेड के अधिकतम से अधिक है, तो वेतन को ग्रेड के अधिकतम पर निर्धारित करते हुए इसके अंतर को भविष्य की वेतनवृद्धि के साथ समाहित किया जायेगा।

समायोजित ग्रेड में देय जैसे, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि वेतन +व्यक्तिगत वेतन पर देय होगा।

विकोटिकृत होने से वैकल्पिक पर पर समायोजित होने की तिथि तक अधिवार्षिकी पद पर रहने के दौरान रनिंग कर्मचारियों का, रनिंग भत्तों हेतु देय वेतन तत्व को जोड़ते हुए समुचित वेतन निर्धारण किया जाना चाहिये। ऐसे वेतन निर्धारण पश्चात किलोमिटरेज की एवज में देय भत्ता देय नहीं होगा। (RBE 138/11)

मेडिकल विकोटिकृत रनिंग कोटि के कर्मचारी को स्थिर पद (Stationary Post) पर वैकल्पिक नियोजन पर वेतन निर्धारण के क्रम में उनके मूल वेतन में (पे बेण्ड में वेतन +ग्रेड पे) देय रनिंग एलाउंस के तत्व को

जोड़ते हुये वेतन निर्धारण किया जायेगा तथा उनके मूल का ग्रेड पे ही उन्हें देय होगा अर्थात् ग्रेड पे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। (RBE 41/13, 39/15)

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 के लागू होने अर्थात् (07.02.1996) से पूर्व यदि कोई वरिष्ठ रेल कर्मचारी जो चिकित्सा आधार पर विकोटिकृत हुआ हो और से ऐसे पद पर समायोजित किया गया हो जिसका वेतनमान उस पद के वेतनमान से कम हो, जिस पर वह चिकित्सीय रूप से विकोटिकृत होने से पूर्व नियमित रूप से कार्य कर रहा था तथा कोई कनिष्ठ रेल कर्मचारी जो इस अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात चिकित्सीय आधार पर विकोटिकृत होने के बाद वैकल्पिक पद पर समायोजित किया जाता है, जिसका वेतनमान उस वेतनमान के समान हो जिस पर वह पहले कार्य कर रहा था, तो यह स्थिति अव्यवस्था (Annomalous Situation) वाली होगी।

इस समस्या के समाधान हेतु रेलवे बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि महाप्रबन्धक वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा उनके कनिष्ठ कर्मचारियों को इस अधिनियम की व्यवस्थाओं के आधार पर समान वेतनमान में आमेलित करने के सन्दर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करें। किन्तु यह तभी होगा जब वरिष्ठ व कनिष्ठ कर्मचारी विकोटिकृत होने से पूर्व समान विभाग, संवर्ग, श्रेणी तथा ग्रेड में हो तथा विकोटिकृत होने के पश्चात उन्हें समान विभाग, संवर्ग, श्रेणी में आमेलित किया गया हो। ऐसे मामलों में वरिष्ठ कर्मचारी पर पुनर्विचार करते हुये उसे दिये जाने वाले वास्तविक वित्तिय लाभ उच्च ग्रेड में आमेलन की तिथि से दिया जायेगा तथा 07.02.1996 को या इसके बाद कनिष्ठ आमेलित किये जाने की तिथि से प्रोफार्मा लाभ दिया जायेगा। (RBE 104/06)

निचले ग्रेड में समायोजित अधिशेष कर्मचारियों का वेतन नियतिकरण (RBE 160/92)
(Fixation of pay of surplus staff being absorbed in lower grade)

निचले वैकल्पिक पद पर समायोजित होने पर अधिशेष कर्मचारी का वेतन उस श्रृंखला के समान निर्धारित किया जायेगा जिस पद से वह अधिशेष पूर्व वेतन आहरित कर रहा था। यदि उसके द्वारा धारित नये पद में ऐसी कोई वेतन श्रृंखला नहीं है तो उससे निचली श्रृंखला में निर्धारित किया जायेगा तथा उसका अन्तर वैयक्तिक वेतन के रूप में रहेगा जो भविष्य में मिलने वाली वेतनवृद्धि में समायोजित हो जायेगी। किन्तु इस प्रकार निर्धारण वेतन अधिशेष कर्मचारी के समायोजित पद के वेतनमान के अधीकतम से अधिक नहीं होगा। उपयुक्त वेतन संरक्षण वहाँ विस्तारित नहीं किया जायेगा, जहाँ समान वेतनमान में पदों की उपलब्धता होने के बावजूद कर्मचारी का समायोजन उसके अनुरोध पर कम वेतनमान वाले पद पर किया गया हो।

स्वयं अनुरोध स्थानान्तरण पर वेतन नियतीकरण (Fixation of pay in case of own request transfer in lower grade) [RBE 19/95, 188/99, 60/07, 143/07 & Bd' letter dt. 02.12.96 (P.No.:227 of RBO 96)]

किसी पद के नियमित धारक की नीचले वेतनमान /पद पर स्थानान्तरण के मामलें में वेतन निर्धारण उस कर्मचारी द्वारा उच्च वेतनमान में लिये जा रहे वेतन के बराबर stage पर ही किया जायेगा। अगर वह stage उस वेतनमान में उपलब्ध नहीं हैं तो नीचली stage पर वेतन निर्धारित करते हुये बकाया वेतन व्यक्तिगत वेतन (Personal pay) के रूप में रखा जायेगा जो कि भविष्य में मिलने वाले वेतन वृद्धियों में समायोजित होगा। अगर नीचले पद के वेतनमान का अधिकतम कर्मचारी द्वारा उच्च वेतनमान /पद में लिये जा रहे वेतन से कम हैं तो कर्मचारी का वेतन FR 22 (1) (a) (3) के अनुसार नीचले वेतनमान के अधिकतम पर निर्धारित होगा।

01.01.2006 से लागू संशोधित वेतन ढांचे, जिसमें रनिंग पे व ग्रेड पे शामिल है, में स्वयं के अनुरोध पर निचले पद पर स्थानान्तरण चाहने वाले कर्मचारी का वेतन उसी वेतन व वेतन श्रृंखला पर निर्धारित किया जायेगा, जिसे निचले पद पर नियुक्ति से पूर्व वह आहरित कर रहा था किन्तु उसे ग्रेड पे नीचले पद की ही दी जायेगी। भविष्य में उसकी वेतनवृद्धि उसके समायोजित निचले वेतन +वेतन बैण्ड +ग्रेड पे के आधार पर देय होगी। (RBE 210/09 & 146/12)

जी.डी.सी.ई. कोटा के अन्तर्गत चयनित रनिंग कर्मचारियों का वेतन नियतिकरण (RBE 132/06)

रनिंग कर्मचारियों को जो डी.डी.सी.ई. कोटा के अधीन अन्य पदों पर नियुक्ति होने पर वेतन नियतिकरण के उद्धेश्य से वेतन तत्व (Pay element) की गणना का लाभ देय नहीं होगा।

चूंकि डी.डी.सी.ई. योजना स्वेच्छिक प्रकृति की है तथा सम्बन्धित कर्मचारी उपर्युक्त योजना के अधीन अन्य पदों पर नियुक्ति होने पर वेतन नियतिकरण के तरीकों के बारे में जागरूक होते है, इसलिये ऐसे मामलों में वेतन नियतिकरण, वेतन तत्व को लेखे में लिये बिना प्रभावी होगी।

छठे वेतन आयोग/रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम–2008 के अधीन वेतन नियतिकरण (RBE 103/08)

(i) संशोधित वेतन ढांचे में प्रारम्भिक वेतनका नियतिकरणः– (RBE 103/08 का नियम 07)

01 जनवरी 2006 से संशोधित वेतन ढांचे में विकल्प के आधार पर अधिशासित या माने गये (Deemed) रेल कर्मियों का प्रारम्भिक वेतनउसके स्थायी पद, जिस पर उसका धारणाधिकार है, के मूल वेतन के सन्दर्भ में तथा उसके द्वारा धारित स्थानापन्न पद के सम्बन्ध में अलग–अलग निम्न प्रकार से निर्धारित किया जायेगाः–

सभी कर्मचारियों के मामले में:–

(i) पे बैण्ड /वेतनमान में वेतन का निर्धारण करने हेतु 01.01.2006 को मूल वेतन को 1.86 के गुणक से गुणा करके परिणामी आँकड़े को अगलके 10 के गुणकों में पूर्ण (Round off) किया जायेगा।

नोटः– संशोधित वेतन ढाँचे में वेतनवृद्धि की गणना करने के मामले में पैसों को अनदेखा कर दिया जायेगा किन्तु एक रूपये या अधिक की किसी भी राशि को अगले 10 के गुणों में पूर्ण किया जायेगा। (RBE 28/09)

(ii) यदि संशोधित वेतन बैण्ड /वेतनमान का न्यूनतम उपर्युक्त ( i ) अन्तर्गत आयी राशि से अधिक है, तो संशोधित वेतन बैण्ड /वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन निर्धारित किया जायेगा।

उपर्युक्त नियम के सन्दर्भ में रेलवे बोर्ड द्वारा यह स्पष्ट किया गया है किः– (RBE 160/08)

(क) वर्तमान समूह ''घ'' कर्मचारी प्रारम्भिक तौर पर उचित ग्रेड पे के साथ वेतन बैण्ड में नियत किये जायेगें। तत्पश्चात आवश्यक शर्ते पूरी करने के बाद पे बैण्ड पीबी–1 (रू 5200–20200) में ग्रेड पे रू 1800 पर रखे जायेगें। तद्नुसार वर्तमान समूह 'घ' पद जो ग्रेड पे रू 1300, रू 1400, रू1600 एवं रू 1650 जो कि वेतन बैण्ड IS (रूपये 4400–7400) (पूर्व संशोधित वेतनमान रू 2550–3200, रू 2610–3540, रू 2610–4000 और रू 2650–4000) में है, उनको सभी कार्यों सहित समाहित कर वेतन बैण्ड पीबी–1 (रू 5200–20200) में ग्रेड पे 1800 पर रखा जायेगा (पूर्व संशोधित वेतनमान रू 2750–4400 के अनुरूप)

(ख) उपर्युक्त के परिणाम स्वरूप वर्तमान नियमित समूह 'घ' कर्मचारियों के नियोजन (Placement) की आगे की कार्यवाही रेल सेवा संशोधित वेतन नियम 2008 की अधिसूचना की तिथि से पीबी–1 रू 5200–20200 ग्रेड पे रू 1800 में निम्न प्रकार अधिशासित की जायेगीः–

(i) ऐसे समूह 'घ' कर्मचारी जो 01.01.2006 को सेवा में थे तथा जिनके पास पहले से ही संशोधित, न्यूनतम योग्यता, या आई.टी.आई. अथवा मैट्रिक पास (आर.बी.ई.–160/08) है तथा ऐसे कर्मचारी जो पुनः प्रशिक्षित हो चुके है उन्हें उनकी वरिष्ठता के साथ पीबी–1 ग्रेड पे–1800 में रखा जायेगा तथा उनका वेतन, वेतन नियतिकरण तालिका के अनुसार 01.01.2006 से पीबी–1 में ग्रेड पे रू 1800 में पुनः नियत किया जायेगा।

(ग) इसी प्रकार समूह 'घ' कर्मचारी जो 01.01.2006 के बाद नियमित आधार पर भर्ती हुये है उनको भी संशोधित वेतन ढाँचा में 1S/ पीबी–1 का लाभ (उनकी भर्ती की तिथि से) उसी प्रकार किया जायेगा जिस प्रकार कि 01. 01.2006 को सेवारत कर्मचारियों के मामले में दिया गया है। (यह जहाँ आवश्यक हो, पुनः प्रशिक्षण की शर्त पर आधारित होगा)।

(घ) छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप पदो ंके उन्नयन के मामलों में, पूर्व संशोधित वेतनमान की समकक्ष (Corresponding) फिटमेण्ट सारणी को वेतन बैण्ड में वेतन निर्धारण हेतु प्रयोग में लिया जायेगा। वेतन बैण्ड में इस प्रकार निर्धारित वेतन में उन्नयन पद की Corresponding चालू ग्रेड पे को जोड़ा जायेगा। यह उन रेल कर्मचारियों का संशोधित वेतन होगा जो छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अपग्रेड हो गये है। (RBE 172/08)

(ड़) समूह 'घ' के ऐसे रेल कर्मी जो न्यूनतम योग्यता नहीं रखते है तथा जो 01.01.2006 और संशोधित वेतन नियम की अधिसूचना तिथि अर्थात् 04.09.2008, के मध्य सेवानिवृत /सेवा के दौरान मृत्त हो गये है, उन्हें पे बैण्ड 1 एस में रखा जायेगा तथा उसके अनुरूप उन्हें रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 में अधिसूचित के अनुसार ग्रेड पे दी जायेगी।

उपरोक्त के क्रम में रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 08.11.2010 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो दसवी पास नहीं थे तथा जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हो गई थी या जो दिनांक 01.01.2006 व संशोधित वेतन नियम 2008 के प्रसारित होने की तिथि अर्थात् 04.09.2008 के मध्य सेवनिवृत्त हो गये हैं, उन्हें भी 01.01.2006 से ग्रेड पे 1800 सहित पीबी–1 में रखा जायेगा। (RBE 162/10)

(च) ऐसे रेल कर्मी जिन्हें ए.सी.पी. योजना के अधीन उच्च वेतनमान में वित्तीय उन्नयन मिला है उन्हें इसी के अनुरूप उनके चालू (Corresponding) उच्च वेतनमान के अनुसार ग्रेड पे दी जायेगी। हालांकि पूर्व समूह 'घ' कर्मचारियों को यह देखे बिना पीबी–1 में ग्रेड पे रू 1800 दिया जायेगा कि पूर्व संशोधित समूह 'घ' वेतनमानों में उन्हें नियमित नियुक्ति /पदोन्नति मिली है अथवा ए.सी.पी. के अन्तर्गत। (RBE 08/09)

(छ) निर्माण संगठन में बाह्य संवर्ग में तदर्थ आधार पर कार्यरत्त रेल कार्मियों के मामले में छठे वेतन आयोग में उनका वेतन संवर्ग पद तथा बाह्य संवर्ग पद पर अलग–अलग नियत किया जायेगा। (RBE 133/2010)

(ज) 01.01.2006 के पूर्व लोको निरीक्षक बने कर्मचारियों का 01.01.2006 के पश्चात लोको निरीक्षक बने कनिष्ठ कर्मचारियों से वेतन उन्नयन (Stepingup) तभी विचारणीय हैं जबकि दोनों कर्मचारी एक ही संवर्ग के हो तथा जिस पद पर पदोन्नति हुई हैं वह समान (Identical) हो तथा RS(RP)Rules,2008 के नियम 07 की शर्त पूर्ण होती हो। [Rly. Bd's letter No.: E(P&A)11/2008/RS-37 dt. 24.07.08 &28.11.11 (NWR PS 82/11]

2. संशोधित वेतन ढाँचे में 01.01.2006 को या उसके बाद नवनियुक्त कर्मचारियों का वेतन नियतिकरणः (RBE 103/08 का नियम 08)

किसी निर्दिष्ट ग्रेड पे में विशेष पद के लिये सीधी भर्ती वाले कर्मचारियों को 01.01.2006 को या उसके बाद वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगाः–

| ग्रेड पे | वेतन बैण्ड में वेतन | कुल | ग्रेड पे | वेतन बैण्ड में वेतन | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 5200 | 7000 | 2400 | 7510 | 9910 |
| 1900 | 5830 | 7730 | 2800 | 8560 | 11360 |
| 2000 | 6460 | 8460 | | | |

यह उन मामलों पर भी लागू होगा जहाँ कर्मचारी 01.01.2006 तथा रेलवे बोर्ड द्वारा अधिसूचना के जारी होने के दौरान भर्ती हुये है। ऐसे मामलों में जहाँ का कार्यग्रहण की तिथि को लागू पूर्व संशोधित वेतनमान में मूल वेतन +महंगाई वेतन +महंगाई भत्ता, संशोधित वेतन ढाँचे में नियत वेतन तथा इस पर देय महंगाई भत्ते के परिलाभों के योग से अधिक है, तो इनके अन्तर को वैयक्तिक वेतन के रूप में दिया जायेगा जो भविष्य की वेतनवृद्धि में समाहित हो जायेगा।

3. संशोधित वेतन ढाँचे में वेतनवृद्धि की दरः (RBE 103/08 का नियम 9)

संशोधित वेतन ढाँचे में वेतनवृद्धि की दर कर्मचारी की देय पे बैण्ड व ग्रेड पे में वेतन के योग का 03 प्रतिशत होगी जिसे अगले 10 के गणकों में पूर्ण किया जायेगा। (संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन वृद्धि की गणना में पैसों को अनदेखा किया जायेगा तथा एक रूपया या अधिक किसी भी राशि को अगले 10 के गणकों में पूर्ण किया जायेगा वेतनवृद्धि की राशि को वेतन बैण्ड के वर्तमान वेतन में जोड़ दिया जायेगा। (RBE 28/09)

4. संशोधित वेतन ढाँचे में अगली वेतनवृद्धि की तिथि (RBE 103/08 का नियम 10)

प्रत्येक वर्ष की पहली जुलाई वार्षिक वेतनवृद्धि की एक समान तिथि होगी। संशोधित वेतन ढाँचे में पहली जुलाई को छःमाह या अधिक पूर्ण करने पर कर्मचारी वेतनवृद्धि का हकदार होगा। संशोधित वेतन ढाँचे में 01.01.2006 को वेतन नियतीकरण के बाद, उन कर्मचारियों के लिये जिनकी अगली वेतनवृद्धि पहली जुलाई 2006 से पहली जनवरी 2007 के बीच पड़ती हो, उनको पहली वेतनवृद्धि 01.07.2006 को दी जायेगी। किन्तु ऐसे कर्मचारी जो 01.01.2006 को एक वर्ष से अधिक से वर्तमान वेतनमान में अधिकतम आहरित कर रहे थे, उन्हें संशोधित ढाँचे में अगली वेतनवृद्धि पहले 01.01.2006 को दी जायेगी तत्पश्चात नियम 10 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप वेतन निर्धारित किया जायेगा।

किन्तु यदि कोई कर्मचारी उसके वेतन बैण्ड के अधिकतम वेतन पर पहुँच जाता है, तो ऐसे अधिकतम पर पहुँचने के एक वर्ष बाद उसे अगले उच्च वेतन बैण्ड में रखा जायेगा तथा उसे एक वेतनवृद्धि का लाभ देय होगा। इसके बाद वह उच्च वेतन बैण्ड में तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक कि वतन बैण्ड में उसका वेतन पीबी–4 के अधिकतम पर नहीं पहुँच जाता। इसके बाद आगे कोई वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

ऐसी स्टेगनशन वेतनवृद्धि उन सभी कर्मचारियों कोदेय होगी जो 01.01.2006 को अपने वेतनमान के अधिकतम पर एक वर्ष से अधिक समय से थे या जो स्टेगनेशन वेतनवृद्धि प्राप्त कर रहे थे। एक साल की अवधि की गणना वेतनमान के अधिकतम पर वेतन प्राप्त करने की तिथि से की जायेगी ना कि स्टेगनेशन वेतनवृद्धि प्राप्त करने की तिथि से। (RBE 83/12)

अगली वेतनवृद्धि की तिथि : स्पष्टीकरणः (RBE 132/08)

1. संशोधित वेतन ढाँचा नियम 2008 के नियम 10 के अनुसार वार्षिक वेतनवृद्धि की एक समरूप तिथि होगी जो प्रत्येक वर्ष की पहली जुलाई होगी। संशोधित वेतन ढाँचे में पहली जुलाई को छःमाह या अधिक माह पूर्ण करने वाले कर्मचारी वेतनवृद्धि पाने के हकदार होगें। तदनुसार सभी रेल कर्मचारी जिन्होंने अपनी अन्तिम वेतनवृद्धि 02. 01.2005 और 01.01.2006 के बीच ली हो वे अगली वेतनवृद्धि 01.07.2006 को प्राप्त करेगें।

2. उन कर्मचारियों के लिये जिनकी अगली वेतनवृद्धि की तिथि 01.01.2006 को पड़ती है, उनके लिये पूर्व में जारी अनुदेशों के अनुसार पूर्ण संशोधित वेतनमान 01.01.2006 को एक वेतनवृद्धि देने के बाद संशोधित वेतनमान में उनका वेतन नियत किया जायेगा। ऐसे रेलकर्मी अपनी अगली वेतनवृद्धि 01.07.2006 को भी प्राप्त करने के हकदार होगें।

3. नियम 10 के प्रावधानों में एक बार (one time measure) छूट देते हुये रेलवे बोर्ड द्वारा यह विनिश्चय किया गया हैं कि ऐसे रेलकर्मी जिनकी वार्षिक वेतनवृद्धि वर्ष 2006 में फरवरी से जून के दौरान थी, उन्हें पूर्व संशोधित वेतनमान में 01.01.2006 से एक वेतनवृद्धि देय होगी तत्पश्चात उन्हें अगली वेतनवृद्धि संशोधित वेतन ढाँचे में 01.07.2006 से देय होगी। (RBE 40/12)

नोटः– (i) ऐसे मामलों में जहाँ दो वेतन श्रृंखला, जिसमें से एक अन्य वेतनमान का पदोन्नति वेतनमान हो, समाहित (marged) हो गई है तथा एक कनिष्ठ रेल कर्मी जो पूर्व में अपने वरिष्ठ से वेतन श्रृंखला के नीचे के

स्तर पर या समान स्तर पर वेतन ले रहा था लेकिन वह संशोधित ढाँचे के वेतन बैण्ड में अपने वरिष्ठ से अधिक वेतन आहरित करता है तो उससे वरिष्ठ रेल कर्मचारी का वेतन समान तिथि से उसके कनिष्ठ के बराबर बढ़ा दिया जायेगा तथा वह अगली वेतनवृद्धि नियम 10 के अनुसार आहरित करेगा।

(ii) रेल सेवक जिसने वर्ष की पहली जुलाई को 06 माह से कम की सेवा की है वे उस दिन वेतनवृद्धि के हकदार नहीं होगें तथा उनकी वेतनवृद्धि की तिथि 12 माह बाद अगली 01 जुलाई को पड़ेगी। तदनुसार सभी रेल कर्मी जिन्होंने पदोन्नति /नियुक्ति लेखे पर किसी विशेष ग्रेड में 01 जनवरी को कार्यभार ग्रहण किया है वे उस वर्ष की पहली जुलाई को वार्षिक वेतनवृद्धि आहरित करने के हकदार होगें। किन्तु जिन्होंने 02 जनवरी से 30 जून के बीच किसी पद पर कार्यभार ग्रहण किया है, वह इसके हकदार नहीं होगें किन्तु ऐसे मामलों में जहाँ कर्मचारी को 01 जनवरी को कार्य ग्रहण करना था लेकिन 01 जनवरी को रविवार या राजपत्रित अवकाश होने के बारण वह कार्यग्रहण नहीं कर सका हो तथा वर्ष के पहले कार्य दिवस को किसी पद पर कार्यग्रहण करता है, तो उसे वार्षिक वेतनवृद्धि देने के उद्धेश्य से 01 जुलाई को छःमाह की सेवापूर्ण करनामाना जायेगा। (RBE 64/2009)

(iii) रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या दिनांक 09.01.1987 (P, No-450 of RBO 87) में निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत दी गई व्यवस्था को छोड़कर, पूर्व वर्ष की 01 जुलाई से विचाराधीन वर्ष की 30 जून के बीच असाधारण छुट्टी (चिकित्सा प्रमाण–पत्र के बिना) के लेखे में 06 महिने से कम की अर्हक सेवा के मामले में वेतनवृद्धि अगले वर्ष की 01 जुलाई से प्रभावी होगी। (RBE 110/2010)

4. 01 जनवरी 2006 के बाद संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन नियतिकरण : (RBE 103/08 का नियम 11)

जब कोई रेलकर्मी वर्तमान वेतन श्रृंखला में लगातार वेतन आहरित करते हुए 01.01.2006 के बाद की तिथि में संशोधित वेतन ढाँचे में आता है तो संशोधित वेतन ढाँचे में उसका वेतन निम्न प्रकार से नियत किया जायेगाः– जिस तिथि को वेतन निर्धारित किया जा रहा है उस तिथि से लागू मूल वेतन, मंहगाई वेतन और मंहगाई भत्ता (01.01.2006 को लागू पूर्व संशोधित मंहगाई भत्ता) को जोड़ते हुये नियति किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त आँकड़े को अगले 10 के गुणकों में पूर्ण (Round off) किया जायेगा तथा उसके बाद वेतन बैण्ड में वेतन लागू होगा। इसके अलावा संशोधित वेतनमान में देय ग्रेड पे भी दी जायेगी।

5. पूर्व धारित किसी पद पर 01.01.06 पश्चात पुनःनियुक्ति होने वेतन नियतिकरणः (RBE 103/08 का नियम 12)

कोई रेल सेवक जो पहली जनवरी 2006 से पूर्व किसी पद पर तैनात था लेकिन उक्त तिथि को उस पद पर नहीं था, किन्तु इसके बाद उक्त पद पर नियुक्त होकर संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन आहरित करता हे तो उसे IRCE-II के मूल नियम–22 के नियम 1313 में दी गई व्यवस्था का लाभ देय होगा तथा यह मानते हुए उसका वेतन निर्धारित किया जायेगा कि अगर 01.01.2006 को वह उस पद का धारक होता तथा उस तिथि से संशोधित वेतन ढाँचे हेतु विकल्प देता तो उसका वेतन क्या निर्धारित होता।

6. 01.01.2006 या उसके बाद पदोन्नति पर वेतन नियतिकरण : (RBE 103/08 का नियम 13)

संशोधित वेतन ढाँचे में एक ग्रेड पे से दूसरी ग्रेड पे में पदोन्नति होने पर वेतन नियतिकरण निम्न प्रकार से किया जायेगा :–

वर्तमान वेतन बैण्ड में वेतन और वर्तमान ग्रेड पे के योग के 3 प्रतिशत के बराबर एक वेतनवृद्धि की गणना की जायेगी तथा उसे अगले 10 के गुणकों में पूर्ण किया जायेगा। इसे वेतन बैण्ड के वर्तमान वेतन में जोड़ा जायेगा। तथा उसके अतिरिक्त पदोन्नति पद सम्बन्धी ग्रेड पे भी उसमें सम्मिलित की जायेगी। यदि पदोन्नति में वेतन बैण्ड का बदलाव भी शामिल है तो समान प्रक्रिया ही अपनाई जायेगी किन्तु यदि वेतनवृद्धि जोड़ने के बाद वेतन बैण्ड में वेतन उच्च वेतन बैण्ड, जिस पर पदोन्नति होनी है, उसके न्यूनतम से कम है, तो वेतन बैण्ड में ऐसे वेतन को इस न्यूनतम तक बढ़ा दिया जायेगा।

वर्तमान ग्रेड पे और वेतन बैण्ड में वेतन जोड़कर 80,000 से अधिक नहीं होगा (वेतनमान का अधिकतम) तथा ऐसे रेलकर्मी जो NPA के हकदार है उनके मामले में वेतन +एनपीए 85000 से अधिक नहीं होगा।

उपरोक्त नियम के संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किये गये हैः (RBE 132/08)

(i) 01.01.2006 के बाद पदोन्नति पर वेतन नियतिकरण की विधि :

एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति /ए.सी.पी. के अन्तर्गत वित्तिय उन्नयन के मामले में रेल कर्मचारी आई आर ई सी भाग–ाा (छठा संस्करण 1987 दूसरा पुनःमुद्रण 2005) के मूलभूत नियम 22 (क) (क) (1) के नियम 1313 के अधीन या तो पदोन्नति की तिथि से या उसकी अगली वेतनवृद्धि अर्थात् वर्ष की पहली जुलाई से उच्च पद पर अपने वेतन नियतिकरण का विकल्प दे सकता है ऐसे मामलों में संशोधित वेतन ढाँचे में उसका वेतन निम्न प्रकार से नियत किया जायेगाः–

(क) ऐसे मामले में जब रेल कर्मचारी अपना वेतन उसकी अगली वेतनवृद्धि की तिथि से नियत करने का विकल्प देता है तो पदोन्नति की तिथि को वेतन बैण्ड में उसका वेतन बिना बदलाव के जारी रहेगा लेकिन उच्च पद की

ग्रेड पे दी जायेगी तथा अगली वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात् 01 जुलाई को पुन+ वेतन नियतिकरण किया जायेगा। तथा उस तिथि को उसे दो वेतनवृद्धि दी जायेगी, एक वार्षिक वेतनवृद्धि तथा दूसरी पदोन्नति के लेखे वेतनवृद्धि। दोनों वेतनवृद्धियों की गणना हेतु पदोन्नति तिथि से पूर्व का मूल वेतन गणना में लिया जायेगा। उदाहरण के लिये यदि पदोन्नति तिथि से पूर्व मूल वेतन 100 रूपये था तो पहली वेतनवृद्धि की गणना 100 रूपये पर ताकि दूसरी की गणना 103 रूपये पर की जायेगी।

(ख) ऐसे मामले में जब रेल कर्मचारी अपना वेतन नियतिकरण पदोन्नति की तिथि से नियत करने का विकल्प देता है तो उच्च ग्रेड में उसे पहली वेतनवृद्धि अगली पहली जुलाई से दी जायेगी यदि वह 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच पदोन्नत हुआ है। किन्तु यदि वह वर्ष की 2 जनवरी व 30 जून के मध्य पदोन्नत हुआ है तो अगले वर्ष की पहली जुलाई को उसकी वेतनवृद्धि देय होगी।

(ग) 01.01.2006 के बाद पद पर पदोन्नत किये गये वरिष्ठ कर्मचारी के वेतन को अपने कनिष्ठ कर्मचारी, जिसकी बाद मेंउसी पद पर सीधी भर्ती की गई थी, की तुलना में स्टेप–अप किया जाये, बशर्ते कि वे सभी प्रयोजनों के लिए एक ही वरिष्ठता सूची में हो। (RBE 28/10 & 115/11)

(ii) वेतन नियतिकरण हेतु फिटमेण्ट टेबल का उपयोग :

रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम–2008 का नियम–11 को 01 जनवरी 2006 के बाद की तिथि से संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन नियतिकरण के लिये उपलब्ध कराया गया है। 01 जनवरी 2006 के बाद की तिथि को जब नियम–11 के अन्तर्गत किसी रेल कर्मचारी का वेतन नियतिकरण किया जाता है तो रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 11.09.2008 ( RBE 108/2008) के साथ संलग्न फिटमेण्ट टेबल का उपयोग किया जायेगा जो उपर्युक्त पत्र के पैरा–2 में वर्णित सम्बन्धित व्यवस्था के अनुसार होगा। ऐसे मामलों में गणना के लिये रेल कर्मचारी का पूर्व संशोधित वेतनमान में उस दिन का वेतन ही वेतन नियतिकरण का आधार होगा।

(iii) ऐसे सरकारी कर्मचारियों का वेतन नियतिकरण जो प्रति नियुक्ति पर थे, तथा बाद में प्रतिनियुक्ति के दौरान संवर्ग में पदोन्नत हुये है :–

(क) ऐसे मामलों में जब रेल कर्मचारी 01.01.2006 को प्रतिनियुक्ति पर थे तथा 01.01.2006 के बाद की तिथि से अपने संवर्ग में किसी उच्च पद पर पदोन्नत हुये किन्तु NBR नियम के तहत प्रोफार्मा पदोन्नति नहीं दी गई है तो उनका वेतन नियतिकरण 01.01.2006 को उस ग्रेड में किया जायेगा जिसमें वह 01.01.2006 को थे।

(ख) ऐसे मामलें में जब रेल कर्मचारी को NBR के अन्तर्गत प्रोफार्मा पदोन्नति दे दी गई हो तो उसका वेतन नीचे मद संख्या (ग) में स्पष्ट किये गये NBR में दी गई व्यवस्था का अनुसार नियत किया जायेगा।

(ग) NBR के अधीन प्रोफार्मा पदोन्नति देने पर रेल कर्मचारी का संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगाः–

(अ) ऐसे मामलें में जब रेल कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर है तथा अपने संवर्ग में उच्च पद पर पदोन्नत होता है तो वेतन बैण्ड में उसका वेतन उसके संवर्ग में उससे तुरन्त कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन के सन्दर्भ में नियत किया जायेगा किन्तु प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि के लिये वह प्रतिनियुक्ति पद से संलग्न ग्रेड पे को नियमित रूप से आहरित करता रहेगा।

(ब) ऐसे मामलें में जब रेल कर्मचारी वेतन बैण्ड–4 के पद पर प्रतिनियुक्ति पर है तथा अपने संवर्ग में उच्च प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नत होता है तो उसका मूल वेतन उसकी सेवा के संवर्ग के उससे तुरन्त कनिष्ठ कर्मचारी के मूल वेतन के सन्दर्भ में नियत किया जायेगा। किन्तु ऐसे निर्धारित कुल वेतन और प्रतिनियुक्ति पद का ग्रेड पे मिलाकर रूपये 79,000 से अधिक नहीं होगा।

(स) ऐसे मामलें में जब रेल कर्मचारी वेतन बैण्ड–4 के पद पर प्रतिनियुक्ति पर है, तथा अपने संवर्ग में शीर्ष वेतन श्रृंखला के किसी पद पर पदोन्नत होता हे तो उसका मूल वेतन उसकी सेवा संवर्ग में उससे तुरन्त कनिष्ठ कर्मचारी के मूल वेतन के सन्दर्भ में नियत किया जायेगा। किन्तु वेतन बैण्ड में कुल वेतन और प्रतिनियुक्ति पद का ग्रेड पे मिलाकर रूपये 79,000 से अधिक नहीं होगा।

(iv) सरकारी कर्मचारी का वेतन नियतिकरण जो निचले पद पर प्रतिनियुक्ति पर जाता हैः–

(क) ऐसे मामलें में जब कोई रेल कर्मचारी निचले ग्रेड पे वाले पद पर प्रतिनियुक्ति पर जाता हे तो वेतन बैण्ड में उसका वेतन अपरिवर्तित रहेगा किन्तु उसे प्रतिनियुक्ति की सम्पूर्ण अवधि के लिये निचले पद की ग्रेड पे ही देय होगी।

(ख) किसी उच्च प्रशासनिक ग्रेड के रेल कर्मचारी द्वारा वेतन बैण्ड–4 के निचले पद पर प्रतिनियुक्ति पर जाने के मामले में उसकी सेवा संवर्ग में उसके मूल वेतन के समान स्तर के बराबर प्रतिनियुक्ति पद पर मूल वेतनदेय होगा। किन्तु प्रतिनियुक्ति पद पर वेतन और ग्रेड पे मिलाकर रूपये 79000 से अधिक नहीं होगा।

(ग) शीर्ष वेतन श्रृंखला के किसी रेल कर्मचारी का वेतन बैण्ड–4 के निचले पद पर प्रतिनियुक्ति पर जाने के मामले में वेतन बैण्ड–4 के अधिकतम रूपये 67000 पर वेतन नियत किया जायेगा तथा उसे प्रतिनियुक्ति पद के साथ संलग्न ग्रेड पे देय होगी। किन्तु वेतन बैण्ड और प्रतिनियुक्ति पद की ग्रेड पे मिलाकर उसका वेतन रूपये 79000 से अधिक नहीं होगा।

(v) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित उन्नयन /वेतनमानों के विलय के मामले में कर्मचारियों को उच्च वेतनमान में रखने की प्रक्रियाः–

(क) जब पूर्व संशोधित वेतनमानों के एक या अधिक पदों काउच्च पूर्व संशोधित वेतनमानों में विलय कर एक सामान्य परिवर्तित वेतनमान /ग्रेड पे दिया गया हो तो सम्बन्धित कर्मचारियों को परिवर्तित उच्च वेतनमान /ग्रेड पे देने के लिये उपयुक्ता जाँच आदि नहीं की जायेगी तथा उन्हें परिवर्तित वेतनमान /ग्रेड पे स्वतः ही दे दी जायेगी तथा उनका वेतन फिटमेण्ट टेबल के अनुसार नियत किया जायेगा।

(ख) इसी प्रकार, वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित उन्नयन अर्थात् जहाँ किसी विशेष ग्रेड के सभी पदों को उच्च परिवर्तित वेतनमान /ग्रेड पे दिया गया हो तो उच्च परिवर्तित वेतनमान /ग्रेड पे देने के लिये पदधारियों की उपयुक्तता की जाँच करना आवश्यक नहीं है तथा पदधारी परिवर्तित वेतनमान /ग्रेड पे प्राप्त करने के हकदार होगें। वेतन बैण्ड में इनका वेतन पूर्व संशोधित वेतनमान के फिटमेण्ट टेबल के अनुसार नियत किया जायेगा तथा उन्नयन पद पर लागू ग्रेड पे उन्हें देय होगी।

(ग) दिनांक 01.01.2006 व उसके पश्चात निम्नलिखित /मामलों में संशोधित वेतन ढाँचे में समान पे बैण्ड /ग्रेड पे में अन्य पद पर पदोन्नति होने पर नियम के अन्तर्गत वेतन निर्धारण देय होगा– (RBE 95/13)

| SNo | Feeder Category | Promotional Category | Revised Pay Structure | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Pay Band | Grade Pay |
| 1. | Chief Matron | Assistant Nursingh Officer | PB3 | GP Rs. 5400 |
| 2. | Sr. Technician | Jr. Engineer | PB2 | GP Rs. 4200 |
| 3. | (i) Loco Pilots (Goods) | (i) Loco Pilots (Passenger) | PB2 | GP Rs. 4200 |
| | (ii) Loco Pilots (Passenger) | (ii) Loco Pilots (Mail /Express) | PB2 | GP Rs. 4200 |
| | (iii) Passenger Guard | (iii) Mail /Express Guard | PB2 | GP Rs. 4200 |
| 4. | Sr.P.W.Supervisor | Jr.Engineer | PB2 | GP Rs. 4200 |

(vi) सभी मामलों में जहाँ 01 जनवरी 2005 के बाद किसी रेल कर्मचारी को वेतनवृद्धि दी गई है, (चाहे सामान्य वार्षिक वेतनवृद्धि हो या गतिरोध (Stagnation) वेतनवृद्धि) तो उन्हें 01.01.2006 को संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन नियतिकरण के समय कोई वेतनवृद्धि देय नहीं होगी। (RBE 28/09)

नोटः– (क) रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम–2008 में ''मूल वेतन'' की परिभाषा के अन्तर्गत, संशोधित वेतन ढाँचे में आहरित वेतन तथा उस पर लागू ग्रेड पे के रूप में वर्णित किया गया है। किन्तु इसमें अन्य प्रकार के वेतन, जैसे व्यक्तिगत वेतन इत्यादि को शामिल नहीं किया गया है। उच्च प्रशासनित वेतनमान ( HAG+) वाले रेल कर्मचारियों के मामलें में मूल वेतन का आशय निर्धारित वेतनमान में वेतन से है।

(ख) ऐसे रेल कर्मचारी जिनकी पदोन्नति /उन्नयन 01.01.2006 से 29.08.2008 के दौरान हुई हैं, उनके समक्ष विकल्प होगा कि संशोधित वेतनमान में वे अपना वेतन निर्धारण प्रथम /द्वितीय पदोन्नति की तिथि से करवा लें। (RBE 105/12)

(ग) दिनांक 01.01.2006 पश्चात पदोन्नत हुये रनिंग कर्मचारियों का संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण सम्बन्धी स्पष्टीकरण। (RBE 30/14)

(घ) गार्ड वे लोको पायलट कोटि में (Functional & Non-functional ) पदोन्नति पर वेतन निर्धारण पर वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण। (RBE 54/14)